संचिका संख्या–01/स्था०राज०–334/2025–

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०वि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– नवंबर, 2025

विषय :– **श्री राम कुमार, सहायक निदेशक, ईख विकास, मुख्यालय, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि दिनांक–08.07.2025 से 24.07.2025 तक का विनियमन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या–3208 दिनांक–30.06.2025 क्रमांक–15 द्वारा बिहार, कृषि सेवा कोटि–01 (शष्य) के पदाधिकारी श्री राम कुमार, की सेवा गन्ना उद्योग विभाग मे सौपी गई। श्री राम कुमार द्वारा गन्ना उद्योग विभाग मे पदस्थापन हेतु दिनांक–02.07.2025 को योगदान समर्पित किया गया परन्तु श्री कुमार के द्वारा पूर्व पद जिला कृषि पदाधिकारी रोहतास, सासाराम के पद का प्रभार दिनांक–07.07.2025 अपराह्न में त्याग किया गया। जिसके आलोक में प्रभार त्याग का प्रभार रिपोर्ट जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के ज्ञापांक–2492 दिनांक–07.07.2025 से महालेखाकार, बिहार, पटना एवं प्रभारी पदाधिकारी वित्त विभाग (वि०दा०नि०को०) विभाग सहित अन्य संबंधित को प्रेषित किया गया। विभागीय आदेश ज्ञापांक–914 दिनांक–04.07.2025 के आलोक में श्री कुमार, ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया के अधीन 08.07.2025 पूर्वाह्न को कार्य करने हेतु योगदान किया गया है।

विभागीय अधिसूचना संख्या–1035 दिनांक–22.07.2025 द्वारा श्री. राम कुमार को सहायक निदेशक, ईख विकास, मुख्यालय, गन्ना उद्योग विभाग के पद पर पदस्थापित किया अधिसूचना दिनांक–22.07.2025 क्रमांक–2 के आलोक में श्री कुमार, ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया से दिनांक–24.07.2025 अपराह्न विरमित होने के संबंध में ईख पदाधिकारी, बेतिया अचंल बेतिया को आवेदन समर्पित कर श्री राम कुमार के द्वारा सहायक निदेशक, ईख विकास, मुख्यालय, गन्ना उद्योग विभाग मे दिनांक–25.07.2025 पूवार्ह्न मे प्रभार ग्रहण किया गया है।

अतएव वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10128 दिनांक–26.12.2003 के आलोक में श्री राम कुमार, सहायक निदेशक, ईख विकास, मुख्यालय, गन्ना उद्योग विभाग का **दिनांक–02.07.2025 से 24.07.2025 तक आंतरिक वित्तीय सलाहकार के परामर्श के आलोक में** निम्न रूपेण विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(i) दिनांक–02.07.2025 से 07.07.2025 तक 06 (छः) दिन पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप मे।

(ii) दिनांक–08.07.2025 से 24.07.2025 तक 17 (सतरह) दिन कार्यरत अवधि के रूप मे।

2. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सहमति तथा प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०राज–334/2025– /पटना, दिनांक– नवंबर, 2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार बिहार वीर चन्द्र पटेल पथ पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन न्यू सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०राज–334/2025– 1763. **/पटना, दिनांक**–17–**नवंबर, 2025**

प्रतिलिपि– विभागीय लेखा शाखा/श्री राम कुमार, सहायक निदेशक, ईख विकास, मुख्यालय/ श्रीमती शालीनता रानी, आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/11/2025

अवर सचिव।

Swe. Sev. Vini.